भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 2510

(जिसका उत्तर शुक्रवार, 25 जुलाई, 2014/3 श्रावण, 1936 (शक) को दिया गया)

कारपोरेट धोखाधड़ी

2510. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया :
श्री सी. एस. पुट्टा राजू :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कारपोरेट धोखाधड़ी का यथाशीघ्र पता लगाने के लिए एक नई आसूचना इकाई गठित कर दी है/गठित करने का विचार करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कब तक इस इकाई के कार्यशील होने की संभावना है;

(ग) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक के दौरान और चालू वर्ष में पता लगाए गए कारपोरेट धोखाधड़ी और उसमें शामिल राशि तथा गंभीर धोखाधड़ी अनुसंधान कार्यालय (एसएफआईओ) द्वारा अनुसंधान किए गए मामलों की संख्या संगठन-वार कितनी है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान एसएफआईओ द्वारा निपटाए गए धोखाधड़ी के ऐसे मामलों की संख्या कितनी है; और

(ड.) सरकार द्वारा ऐसी कारपोरेट धोखाधड़ी के मामलों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए किए गए/किए जा रहे सुधारात्मक उपाय क्या हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण)

(क) और (ख) : वित्तीय धोखाधड़ियों से संबंधित मीडिया रिपोर्टों का विश्लेषण करने और ऐसे कारपोरेटों की बाजार निगरानी करने के उद्देश्य से गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) में एक बाजार अनुसंधान और विश्लेषण एकक (एमआरएयू) स्थापित किया गया है। एमआरएयू के कार्यसंचालन को मजबूत करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई थी और उसकी सिफारिशों के आधार पर एसएफआईओ में उपयुक्त प्रौद्योगिकी और दक्ष तकनीकी कर्मचारियों के साथ एक फोरेंसिक प्रयोगशाला की स्थापना की गई है।

(ग) : 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के दौरान तथा वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान, अर्थात् 01.04.2014 से 30.06.2014 तक एसएफआईओ ने 78 मामलों में जांच पूरी की है। इन जांचों में 10,818 करोड रुपए की धोखाधड़ी का पता चला है जिसमें 31 कंपनियां शामिल हैं।

(घ) : एसएफआईओ न्यायालय में शिकायतें दायर करता है और उसे मामलों का स्वयं निपटान करने की शक्ति प्राप्त नहीं है।

(ड.) : कारपोरेट धोखाधड़ियों से कारगर ढंग से निपटने के लिए सरकार का निरंतर प्रयास है कि अन्य जांच एजेंसियों के साथ बेहतर समन्वय द्वारा दक्षता, प्रणालियों और जानकारी का उन्नयन हो।

*****